भारत सरकार, वाणिज्य विभाग Government of India, Department of Commerce
विकास आयुक्त का कार्यालय Office of the Development Commissioner
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र **NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE**
नौएडा–दादरी रोड, फेस–२,नौएडा, 201305, जिला गौ० बुध नगर
Noida-Dadri Road, Phase II, NOIDA 201 305, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Tel.: (0120) 2567 270 ,0120-3021444 to 46; Fax: (0120) 256 2314 / 256 7276

फा. सं. एन.एस.ई.जेड / विधि / ई.ओ.यू / 293 दिनॉक :-

परिपत्र

विषय : निर्यात घराना प्रमाण –पत्र के लिए नवीनिकरण /नया आवेदन– संबंधी

विदेश व्यापार महा निदेशालय अधिसूचना सं.1/2015-2020 दिनॉक - 01.04.2020 और सार्वजनिक सूचना सं.1/2015-2020 दिनॉक - 01.04.2020 के अनुसार क्रियाविधि पुस्तिका और इसके परिशिस्ट एवं आयात नियात फार्म का दिनॉक 01.04.2015 को अधिसूचित किया गया है ।

क्रियाविधि पुस्तिका 2014-15 के पैरा 3.19(क) के अनुसार किसी आई ई सी धारक को विदेश व्यापार नीति 2009-14के अंतर्गत जारी निर्यात घराना प्रमाण पत्र दिनॉक 20.06.2015 तक वैध रहेगा या तब तक वैध रहेगा जब तक कि इस नीति के अंदर प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो । क्रियाविधि पुस्तिका 2015-20 के पॅरा 03.19(29) के अनुसार आवेदक को आयात–निर्यात फार्म 3 सी के अदंर निर्यात घराना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना होता है ।

उपरोक्त के अलावा, आपसे अनुरोध है कि विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 3.20 से 3.24 और क्रिया विधि पुस्तिका के पैरा 3.18 से 3.23 के तहत इस कार्यालय को निर्यात घराना प्रमाण पत्र की नवीकरण / जारी करने हेतु ऑन लाइन आवेदन भेजें। आवेदन क्रिया विधि पुस्तिका के आयात – निर्यात फार्म 3 सी में भेजे ताकि उस पर विचार किया जा सके।

वे ई. ओ. यू. जिन्होने विदेश व्यापार महा निदेशालय में अपना नवीकरण करा लिया है वे भी इस कार्यालय को एक प्रति भेजें ।

भवदीय

सुबोध कुमार झा
सहायक विकास आयुक्त

सेवा में,
विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नौएडा के क्षेत्राधिकार के अन्र्तगत आने वाले सभी ई.ओ. यू ।